अति महत्वपूर्ण

संख्या-5/2016/भा0स0 8/84-2-2016-सीपी 5/99

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 2016

विषय दिनांक 15 मार्च, 2016 "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना ।

महोदय,

विश्व उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत पूर्ण एकता और उत्सव के लिए "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" एक वार्षिक अवसर है, जो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" समस्त उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने का एक माध्यम है। भारत सरकार ने "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" के लिए इस वर्ष का विषय "Antibiotics off the menu" निर्धारित किया है।

2. अतः जनपद में "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" दिनांक 15 मार्च, 2016 को उत्सव की भांति मनाया जाय। इस निमित्त 'वर्कशाप' और सेमिनार आदि का आयोजन किया जाय, जिससे कि राज्य उपभोक्तागण उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। भारत सरकार द्वारा "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" दिनांक 15 मार्च, 2016 के लिए निर्धारित विषय "Antibiotics off the menu" के सम्बन्ध में विभिन्न प्रतियोगितायें भी आयोजित कराने का कष्ट करें। इस हेतु उपभोक्ताओं को आमंत्रित कर उनके उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयासों से उन्हें अवगत कराया जाय ताकि वह एक उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार अपने स्तर से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करके शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय पर आयोजित किये जाने के संबंध में अपेक्षित समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

(3) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(4) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेष (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)।

(5) नियंत्रक, बांट एवं माप, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2016'' के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय के सम्बन्ध में मुख्यालय एवं प्रत्येक जनपदों में सेमिनार आदि कराने का कष्ट करें।

(6) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेष।

(7) निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ।

(8) निदेशक, दूरदर्शन, 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ ।

(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

नेकपाल वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।